

सं० सं० 14/.एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.6.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कोमल कुमारी पति-प्रशान्त कुमार ग्राम-चौकी अशोक धाम पो०-बालगुदर थाना-जिला-लखीसराय केसफाइलन०-सीआर/13522	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
2	मास्टर अनुप कुमार पिता-भुनेश्वर साह ग्राम-नवडीहा पो०+थाना-खैरा जिला-जमुई केसफाइलन०-सीपी०/25345	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	सुमन देवी पति-पप्पु कुमार सिंह ग्राम-बरकुरवा पो०-थाना-पीपरा कोठी जिला-पूर्वी चम्पारण केसफाइलन०-सीजे०/21530	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	उषा देवी पति-उपेन्द्र कुमार गुप्ता ग्राम+पो-पोखरा थाना-महराजगंज जिला-सीवान केसफाइलन०-सीएन/01121	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
5	मो० नौशाद आलम पिता-मो० मोकीम ग्राम-पो०-बलौर थाना-गाय घाट जिला-मुजफ्फरपुर केसफाइलन०-सीआर/12625	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

6	बेबी सिन्हा पति-नवीन कुमार ग्राम-पो0-नीमी थाना-शेखोपुर सराय जिला शेखपुरा केसफाइलनं0-सीआर/1000	कैंसर रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत ।
7	मुनी लाल दास पिता-कारु दास ग्राम-पो0-शहर तेलपा थाना-करपी जिला अरवल केसफाइलनं0-सीआर/19506	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत ।
8	शांति देवी पति-रमेश चन्द्र झा ग्राम-रोड नं0-9 बी0 मिथीला कालोनी राजीव नगर पो0-केसरी नगर थाना-राजीव नगर जिला-पटना केसफाइलनं0-सीआर/07224	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत ।
9	रामु यादव पिता-स्व0 गुदानी यादव ग्राम-नौगढ़ टोले सहाय बीगहा पो0-नौगढ़ थाना+जिला-औरंगाबाद केसफाइलनं0-सीआर/16134	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत ।
10	अरुण ठाकुर पिता-वाले ठाकुर ग्राम-मोबारकपुर पो0-खरथुआ थाना-हरनौत जिला-नालंदा केसफाइलनं0-सीआर/08449	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत ।
			कुल ₹ 8,30,000 /-.

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,30,000 /- (आठ लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 694821.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683, खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....~~694821~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1142(14)

पटना, दिनांक

29.6.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री प्रमोद कुमार मा0 मंत्री पर्यटन विभाग / श्री आनन्द शंकर सिंह मा0 स0वि0स0 औरंगाबाद / संबंधित मरीज / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
29/6/18

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.6.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नीतु कुमारी पति-दीपक कुमार श्रीवास्तव ग्राम-सबरी बाजार पो०-जलालपुर बाजार थाना जलालपुर जिला-सारण सीआरनं०-2018445274	कैंसर रोग	₹ 1,20,000 /-(एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
2	जुही रोस्ताना पिता-एहसान अली ग्राम-मौना पो०-राजेपुर थाना-बरुराज जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-2017073392	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	लाल बाबु पासवान पिता-श्याम नन्दन पासवान ग्राम-सुरौधा कालोनी पो०+थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर आरा सीआरनं०-2013154429	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) स्वीकृत।
4	अरविन्द कुमार शाही पिता-कुशेश्वर शाही ग्राम-पो०-बड़का गांव थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-2017680195	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।

5	सलोना प्रसाद श्रीवास्तव पिता-धर्मदेव नारायण प्रसाद ग्राम-जीगना जगरनाथ तोता राम के टोला, पो0-जीगना जगरनाथ, थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2017035692	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
6	सत्य नारायण प्रसाद पिता-रामजश प्रसाद ग्राम+थाना-महम्मदपुर पो0-टेक नवास जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018301696	न्युरो सर्जरी	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
7	चन्द्रकला देवी पति-स्व0 उपेन्द्र सिंह ग्राम-मलखाचक पो0+थाना-दीघवारा जिला सारण सीआरनं0-2018410645	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
8	मिठाई लाल गुप्ता पिता-स्व0 रामजी प्रसाद ग्राम-कैलाश नगर पो0-नरईपुर, थाना-बगहा जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2016093157	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
9	पन्ना लाल सिंह पिता-स्व0 झापस सिंह ग्राम-सिसवा कोडर पो0-सिसवा बाजार, थाना-पहाड़पुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-20171039158	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
10	आदर्श राज पिता-पवन कुमार यादव ग्राम-लक्ष्मीपुर पो0-थाना-इस्माईलपुर जिला-भागलपुर सीआरनं0-2018077865	बोन मैरो ट्रास्प्लांट	₹ 5,00,000/- (पांच लाख) स्वीकृत।
11	रामजी प्रसाद पिता-स्व0 महातम प्रसाद ग्राम-पो0-महुअवा थाना-कटेया जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018059566	न्युरो सर्जरी	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
12	अरविन्द कुमार पिता-नलीनी रंजन मिश्रा ग्राम-दशरथा, पो0-अनिसाबाद थाना-बेउर जिला-पटना सीआरनं0-2018449220	ब्रेन ट्युमर	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 17,90,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,90,000/- (सतरह लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 694822 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 694822 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1139(14)

पटना, दिनांक 29.6.18

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री राम सेवक सिंह, मा० स०वि०स० हथुआ / श्री मिथिलेश तिवारी, मा० स०वि०स० / श्री सचिन्द्र प्र० सिंह मा० स०वि०स० कल्याणपुर // सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
नालन्दा मेडिकल कालेज, अस्पताल
अगमकुंआ, पटना- 800018

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.6.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम बाबु राय पिता-स्व० रामवृक्ष राय ग्राम-पैठानी नत्थुपुर पो०-अनिसाबाद थाना-बेउर, जिला-पटना	किडनी रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल रू० 80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 80,000/- (अस्सी हजार) का क्रास चेक सं०..... 694819 संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- जिस-जिस दिन रोगी का डायलेसिस होना हो अधीक्षक, तत्काल आवश्यक राशि B.Braun Dialysis Centre को उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए वो पहले से उनसे विमर्श कर लेंगे।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 29.6.18

ज्ञापांक 1146(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नन्द किशोर यादव
मा० मंत्री पथ निर्माण विभाग / सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/18
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.6.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	देव सुन्दर देवी पति-स्व० मंगल दयाल महतो ग्राम+पो०-कटेसर थाना-बिहटा जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	पन्ना देवी पति-राज बलम राय ग्राम-यदुरामपुर पो०-मस्तिचक थाना-दरियापुर जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	गोपाल ठाकुर पिता-स्व० शशि नाथ ठाकुर ग्राम-मानीकपुर पो०-आर० टी० मोहन थाना-सिमराहा जिला-अररिया	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	रविन्द्र कुमार पिता-राम बालक महतो ग्राम-रघुनन्दन बीघा पो०-मोहददी नगर थाना-फलसी जिला-लखीसराय	हड्डी रोग	₹ 30,000 /-(तीस हजार) स्वीकृत।
5	तन्मय पिता-मो० शहंशाह आजम ग्राम-बीचली अडान पो०-थाना-सोहसराय जिला-नालंदा	कोकलीयर इम्प्लांट	₹ 5,30,000 /-(पांच लाख तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,00,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,00,000/- (आठ लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~691824~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **579310110002528** खाता धारक का नाम- 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~691824~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1153(14)

पटना, दिनांक 24.6.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ संबंधित मरीजों/आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/18
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.6.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिव नन्दन यादव पिता-युगल यादव ग्राम-पो०-गेरूआ पुरसंडा थाना-हलसी जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	मास्टर छोटु कुमार पिता-महेन्द्र यादव ग्राम-बेला टिकुर पो०-दिग्धी, थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
3	राजेन्द्र सिंह पिता-स्व० शिवधारी सिंह ग्राम-बिशुनपुरवा पो०-चैनपुर थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	सुनैनी देवी पति-द्वारिका भगत ग्राम-दरोगा हाता पो०-गौशाला रोड सिवान थाना-मुफसिल जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	सरूण कुमार पिता-राजदेव सिंह ग्राम-सलेमपुर पो०-इटवा थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।

6	गोरख प्रसाद राय पिता-स्व० गरभु राय ग्राम+पो०-माधोपुर थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,60,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 694823 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 694823 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1152(14)

पटना, दिनांक 29-6-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/18
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकत समिति की दिनांक 20.6.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1.	लालमनी देवी पति-सिया राम दास ग्राम-लोदीपुर पो०-सिलौंजा थाना-बेलागंज जिला-गया सीआरनं०-194132 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2.	मोहन बैठा पिता-स्व० मोती बैठा ग्राम-पुरे छपरा पो०-भाथा सोनहो थाना-परसा जिला-सारण सीआरनं०-110977 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3.	उषा देवी पति-शिबालक यादव ग्राम-जीन्दा बीगहा पो०-मल्लिकपुर थाना-सिलाव जिला-नालंदा सीआरनं०-147799 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4.	बैजनाथ महतो पिता-अरग महतो ग्राम+पो० सादिकपुर थाना-मनेर जिला-पटना सीआरनं०-252925 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।

5.	सुशीला सिंह पति-सबलीया प्रसाद सिंह ग्राम-नई बाजार सदर अस्पताल पो0-थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण सीआरनं0-124755 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
6.	दुखी लाल मेहता पिता-स्व0 सोनाय मेहता ग्राम-पो0+थाना-वीरपुर जिला-सुपौल सीआरनं0-102992 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
7.	रानी देवी पति-स्व0 प्रदीप नारायण सिंह ग्राम-पो0-हरिपुर थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा सीआरनं0-123394 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
8.	सुरेश चौधरी पिता-स्व0 बनारसी चौधरी ग्राम-पो0-चांदपुरा थाना-नीमा चन्दपुरा जिला-बेगुसराय सीआरनं0-116987 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
9.	उमेश यादव पिता-बिनो यादव ग्राम-गोल भट्टा पो0+थाना-बडहीया जिला-लखीसराय सीआरनं0-096837 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
10.	अतुल पिता-अभिषेक कुमार ग्राम-सदर बाजार, ताराचन्द्र गली पो0+थाना-जमालपुर जिला-मुंगेर सीआरनं0-067758 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
11.	रमण राज पिता-शिव शंकर राम ग्राम-छत्रधारी बाजार रतनपुरा गरहा, पो0-थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण सीआरनं0-037992 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
12.	देवकी देवी पति-जोगेन्द्र राय ग्राम-धुनसाहा पामा पो0-पामा, थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा सीआरनं0-105880 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।

13.	अब्दसुल गनी पिता-हाजी अकीलउद्दीन ग्राम-जाताहार पो0-शिवानन्दपुर थाना-आबादपुर जिला-कटिहार सीआरनं0-098101 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
14.	सरिता कुमारी पति-बिन्दु शरण ग्राम+पो0+थाना-वेन जिला-नालंदा सीआरनं0-076850 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
15.	सुदामा देवी पति-नारायण महतो ग्राम-पो0-साख मोहन थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-099232 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
16.	लक्ष्मी साह पिता-रामेसर साह ग्राम-सादपुर मिल्की टोला पो0-रमना थाना-काजी मोहम्मदपुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-086049 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
17.	अम्बिका देवी पति-अनिल प्रसाद ग्राम-महमदपुर बिरौली पो0-दीघरा थाना-पुसा जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-108145 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
18.	रमिया देवी पति-फुलो सहनी ग्राम-जगदीशपुर पो0-नेहरा थाना-मनीगाछी जिला-दरभंगा सीआरनं0-121728 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
19.	अर्चना देवी पति-शत्रुघन राय ग्राम-कमरगामा पो0-तीरा जटमलपुर थाना-कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-101621 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।

20.	राजेन्द्र सहनी पिता-रघुनन्दन सहनी ग्राम-पो0-महेशवाड़ा थाना-नावकोठी जिला-बेगुसराय सीआरनं0-116608 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
21.	अखिलेश राय पिता-रघुनन्दन राय ग्राम-आमदीपुर पो0-धरनी पट्टी थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-098574 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
22.	परमेश्वर प्रसाद पिता-महंत प्रसाद ग्राम-खवासपुर टोले नन्दपुर पो0-खवासपुर थाना-बसंतपुर, जिला-सीवान सीआरनं0-207160 / 17	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
23.	जय मंगल राय पिता-मधई राय ग्राम-पो0-पुरखौली थाना-लालगंज जिला-वैशाली सीआरनं0-105367 / 17	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
24.	बृज नन्दन साव पिता-शनिचर साव ग्राम-पो0-मलाठी थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सीआरनं0-090477 / 17	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
25.	चंदन कुमार पिता-श्याम नारायण शर्मा ग्राम-पो0-विष्णुपुर पकड़ी थाना-बेउर जिला-पटना पंजी / ओ0पी0डी / 017086 / 18	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
26.	चांदनी देवी पति-सतेन्द्र साह ग्राम-पो0-शंभुचक थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-124427 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

27	सुशीला देवी पति-महेन्द्र प्रसाद ग्राम-पो0-कचनावा थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सीआरनं0-070921 / 18	किडनी रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
28	रंजु देवी पति-राकेश शर्मा ग्राम-पो0-बचरी थाना-पीरो जिला-भोजपुर पंजी / ओ0पी0डी / 049462 / 18	सर्जरी	₹ 75,000 / -(पचहतर हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
29	ललीता देवी पति-गृसदेव सिंह ग्राम-जगतपुर आनन्द टोला पो0-जगतपुर, थाना-बसंतपुर जिला-सीवान पंजी / ओ0पी0डी / 127055 / 17	हृदय रोग	₹ 85,000 / -(पचासी हजार) स्वीकृत।
30	रंधीर राय पिता-मिला राय ग्राम-इसहाकपुर पो0-थाना-महनार जिला-वैशाली पंजी / ओ0पी0डी / 010283 / 18	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,75,000 / -(तीन लाख पचहतर हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
31	सती देवी पति-सत्य नारायण मंडल ग्राम-डुमरा वार्ड नं0-7 पो0+थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-111451 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
32	अंकित कुमार पिता-श्याम सुन्दर सिंह ग्राम-पो0-मुरौत थाना-रतवारा जिला-मधेपुरा पंजी / ओ0पी0डी / 092629 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
33	तेतर यादव पिता-रामावतार यादव ग्राम-भरारी पो0-बार हुसैनगंज थाना-शेरघाटी, जिला-गया सीआरनं0-071301 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
34	जगदीश दास पिता-सुखदेव दास ग्राम-बलुआहा पो0-सिरसी थाना-खोदावान्दपुर जिला-बेगुसराय सीआरनं0-122553 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।

35	शत्रुघ्न मुखिया पिता-खेलावन मुखिया ग्राम-बछाड़पुर पो0-कुम्हरा बिशनपुर थाना-डूमरा जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-000247 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
36	शंभु साह पिता-लक्ष्मी साह ग्राम-मिसरोलीया पो0-पकटोला थाना-डूमरा जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-031888 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
37	बिरेन्द्र प्रसाद पिता-निर्मल महतो ग्राम-गाजीपुर पो0-सिविल एरोड्राम थाना-मगध मेडिकल जिला-गया सीआरनं0-015942 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
38	नरेश प्रसाद पिता-प्रकाश महतो ग्राम-ईश्वरचक पो0-कथराही थाना-बिन्द जिला-नालंदा सीआरनं0-108617 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
39	संझा देवी पति-राम सकल साह ग्राम-हनुमान नगर पो0-घरभारा थाना-बोंचहा जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-056895 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
40	आकांक्षा कुमारी पिता-सतीश कुमार ग्राम-सोनारू पो0-थाना-फतुहा जिला-पटना सीआरनं0-064335 / 18	हृदय रोग	₹ 1,50,000 / -(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
41	पंकज यादव पिता-प्रकाश यादव ग्राम-पो0-पुरसंडा थाना-सिकन्दरा जिला-जमुई सीआरनं0-099185 / 18	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।

42	तेतरी देवी पति-अशोक कुमार साह ग्राम-मोहन बढियाम पो0-थाना-सकरी जिला-मधुबनी सीआरनं0-247240 / 17	कैंसर रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
43	अनिता देवी पति-गोपाल पाण्डेय ग्राम-पो0-डुमरी थाना-सोनो जिला-जमुई पंजी / ओ0पीडी / 261950 / 17	कैंसर रोग	₹ 50,000 / - (पचास हजार) स्वीकृत।
44	लखीन्द्र राम पिता-कन्हाई राम ग्राम-खतुआहा पो0-खैरी थाना खानपुर जिला-समस्तीपुर पंजी / ओ0पीडी / 028697 / 18	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
45	आशा देवी पति-विन्देश्वर सिंह ग्राम-पो0-डेढपुरा थाना-महनार जिला-वैशाली सीआरनं0-124695 / 17	कैंसर रोग	₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
46	मो0 ग्यास राईन पिता-मो0 पैरू राईन ग्राम-पो0-थाना-बिहपुर जिला-भागलपुर सीआरनं0-107173 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।
47	कौशल्या देवी पति-राम भजन राम ग्राम-चैनपुर पो0-तुर्की थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-107407 / 18	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 37,75,000 / -

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 37,75,000 / - (सैंतीस लाख पचहतर हजार मात्र) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~694-825~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 694825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1154(14)

पटना, दिनांक 29-6-18

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री रत्नेश सादा, मा0 स0वि0स0/ श्री एज्या यादव मा0 स0वि0स0 मोहीउद्दीन नगर/ श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा0 स0वि0स0/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/18
निदेशक प्रमुख